

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

जी-3, राज महल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर

वेबसाईट- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

ई-मेल- caodlb@gmail.com

टेलीफोन/फैक्स नं - 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ट)(319)लेखा/डीएलबी/U.Cess/ 2016/9318

दिनांक 16-07-18

स्वीकृति आदेश

विभाग द्वारा जारी स्वीकृति आदेश समसंख्यक क्रमांक 9245-9270 दिनांक 16.07.2018 को तुरन्त प्रभाव से निरस्त करते हुये, राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वर्ष 2017-18 में संग्रहित नगरीय उपकर की राशि में से विद्युत कम्पनियों द्वारा समेकित निधि में जमा करायी गई राशि में से राशि 12500.00 लाख (अक्षरे रूपये एक सौ पच्चीस करोड़ मात्र) निम्नांकित बजट मदों में व्यय अंकित करते हुये विद्युत वितरण कम्पनियों के निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरित किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती हैं:-

नाम मद	जमा मद			
मांग संख्या - 29				
2217 - शहरी विकास 80 - सामान्य 191 - नगर निगम को सहायता (29) - सार्वजनिक रोशनी [01] - विद्युत बिलों का भुगतान 12 - सहायतार्थ अनुदान (प्रतिबद्ध) राज्य निधि	क्र. सं.	विद्युत कम्पनी का नाम	निजी निक्षेप खाता संख्या कोष कार्यालय जयपुर शहर	राशि (लाखों में)
	1	जयपुर विद्युत वितरण कम्पनी लि0 जयपुर	597	5883.05
	2	अजमेर विद्युत वितरण कम्पनी लि0 अजमेर	599	14.77
	3	जोधपुर विद्युत वितरण कम्पनी लि0 जोधपुर	595	3189.22
		योग		9087.04
राशि रूपये 9087.04 लाख	राशि रूपये 9087.04 लाख			
2217 - शहरी विकास 80 - सामान्य 192 - नगर परिषद/नगर पालिकाओं को सहायता (33) - सार्वजनिक रोशनी [01] - विद्युत बिलों का भुगतान 12 - सहायतार्थ अनुदान (प्रतिबद्ध) राज्य निधि	क्र. सं.	विद्युत कम्पनी का नाम	निजी निक्षेप खाता संख्या कोष कार्यालय जयपुर शहर	राशि (लाखों में)
	1	जयपुर विद्युत वितरण कम्पनी लि0 जयपुर	597	1551.25
	2	अजमेर विद्युत वितरण कम्पनी लि0 अजमेर	599	914.01
	3	जोधपुर विद्युत वितरण कम्पनी लि0 जोधपुर	595	947.70
		योग		3412.96
राशि रूपये 3412.96 लाख	राशि रूपये 3412.96 लाख			
योग राशि रूपये 12500.00 लाख	योग राशि रूपये 12500.00 लाख			

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी. क्रमांक: 171800688 दिनांक 11.07.2018 के क्रम में जारी की जा रही है।

(पवन अरोड़ा)


निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक - 16-07-18

क्रमांक : प.6(ट)(319)लेखा/डीएलबी/U.Cess/ 2016/9313-42

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. शासन सचिव (बजट)/आयोजना, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज० जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्वीकृति के अनुसार संबंधित विद्युत वितरण कम्पनियों के निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरण की स्वीकृति जारी कराने हेतु।
8. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. प्रबंध निदेशक, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विद्युत वितरण निगम लि०, जयपुर/जोधपुर/अजमेर
11. वरिष्ठ उपमहालेखाकार, स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
12. निवासी लेखा परिक्षाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
14. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
16. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान,
17. परियोजना निदेशक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) निदेशालय।
18. अंक मिलान शाखा/बजट शाखा।
19. प्रभारी वेबसाइट/प्रभारी ई-गवर्नेंस/समन्वयक, सीएमएआर को वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
20. सुरक्षित पत्रावली।


ह. ल. राय (पवार)
मुख्य लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय व्ययक अनुभाग)

दिनांक 16-07-2018

क्रमांक : प.4(192)(वित्त-1)(1)आय व्ययक /2017 /
कोषाधिकारी,
जयपुर शहर।

(स्वीकृति संख्या 198 /2018-19)

विषय : वर्ष 2017-18 में नगरीय उपकर की राशि में से विद्युत वितरण कम्पनियों के निजी निक्षेप खाते में राशि हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.6(ट) (319)लेखा/डीएलबी/U.Cess/2016/9318-9342 दिनांक 16.07.2018 (प्रति संलग्न) के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि राज्य की विद्युत कम्पनियों के निजी निक्षेप खातों में राशि रूपये 12500.00 लाख (अद्वारे रूपये एक सौ पच्चीस करोड़ मात्र) निम्नांकित बजट मदों में व्यय अंकित करते हुये हस्तान्तरित कर दी जावे:-

नाम मद		जमा मद		
क्र. सं.	विद्युत कम्पनी का नाम	निजी निक्षेप खाता संख्या कोष कार्यालय जयपुर शहर	राशि (लाखों में)	
मांग संख्या - 29				
2217 - शहरी विकास	जयपुर विद्युत वितरण कम्पनी लि० जयपुर	597	5883.05	
80 - सामान्य	अजमेर विद्युत वितरण कम्पनी लि० अजमेर	599	14.77	
191 - नगर निगम को सहायता	जोधपुर विद्युत वितरण कम्पनी लि० जोधपुर	595	3189.22	
(29) - सार्वजनिक रोशनी	योग		9087.04	
[01] - विद्युत बिलों का भुगतान- (प्रतिबद्ध)				राशि रूपये 9087.04 लाख
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) राज्य निधि				
राशि रूपये 9087.04 लाख				राशि रूपये 9087.04 लाख
2217 - शहरी विकास				
80 - सामान्य	जयपुर विद्युत वितरण कम्पनी लि० जयपुर	597	1551.25	
192 - नगर परिषद/नगर पालिकाओं को सहायता	अजमेर विद्युत वितरण कम्पनी लि० अजमेर	599	914.01	
(33) - सार्वजनिक रोशनी	जोधपुर विद्युत वितरण कम्पनी लि० जोधपुर	595	947.70	
[01] - विद्युत बिलों का भुगतान- (प्रतिबद्ध)	योग		3412.96	
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) राज्य निधि				राशि रूपये 3412.96 लाख
राशि रूपये 3412.96 लाख				राशि रूपये 3412.96 लाख
योग				योग राशि रूपये 12500.00 लाख

उक्त राशि का आहरण सम्बन्धित प्रयोजन के व्यय के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्सम्बन्धी नियमों/ निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा- निर्देशों की पालना करते हुए स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा। कार्य प्रगति एवं व्यय विवरण स्वायत्त शासन विभाग को प्रेषित किया जावे। इसके अंक मिलान का दायित्व स्वायत्त शासन विभाग का होगा।

भारतीय
Wijh
(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवम् एक राजस्थान, जयपुर।
02. प्रमुख शासन सचिव महोदय, आशोजना विभाग, राज० जयपुर।
03. प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग राजस्थान, जयपुर।
04. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राज० जयपुर।
05. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज० जयपुर।
06. प्रबंध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
07. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-3 अनुभाग) विभाग, राज० जयपुर।
08. अनुभाग अधिकारी, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर।
09. वित्त (मार्गपाय) अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. तकनीकी निदेशक वित्त (कम्प्यूटर सेल), जयपुर।
11. सुरक्षित पत्रावली।

Wijh
संयुक्त शासन सचिव (बजट)